an>

title: Need to provide compensation to farmers whose crops have been damaged due to excessive rains, hailstroms and pest attacks.

श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट) ः देश में अनेक प्रदेशों के अनेक जिलें के ग्रामों में फरवरी-मार्च 2015 में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं खराब मौसम से कीट प्रकोप के कारण रबी मौसम की गेहूं, चना, मटर, सरसो, तुअर, अलसी एवं फल व सब्जी इत्यादि फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। कृषकों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। कृषकों के सामने जीवकोपार्जन का कोई साधन नहीं होने के कारण संकट उत्पन्न हो गया है। कृषक काफी चिंतित एवं परेशान है। कृषकों में तीव्र रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। किसान आत्महत्या कर रहा है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा ओला प्रभावित कृषकों को ही मुआवजा दिया जा रहा है जो पर्याप्त नहीं है। अतिवृष्टि एवं कीट प्रकोप से प्रभावित कृषकों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि राजस्व परिपत्र में प्रावधान नहीं है।

अत मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अतिवृष्टि एवं कीट प्रकोप से प्रभावित कृषकों को मुआवजा दिये जाने हेतु राजस्व परिपत्र में संशोधन कर डॉ. स्वामीनाथ आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं ताकि खेती लाभ का व्यवसाय बन सकें तथा किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े।